न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– करतारसिंह पूनियाँ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2011/00379 (104/2011) 75 एलआरएक्ट

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़

– अपीलान्ट

**बनाम**

1. गुरनन्दसिह पुत्र जगराज सिह जाति जटसिख सा0 मसानी तह0 टिब्बी।
2. हरनाम सिह पुत्र सरदार सिंह जाति रायसिख सा0 मसानी तह0 टिब्बी।

– रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्व निर्णय उपखण्डाधिकारी, टिब्बी, दिनांक 01.03.2011

प्रकरण संख्या 270/2011 बअनवानी गुरनन्दसिंह बनाम हरनामसिह

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया, राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से ।

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1

निर्णय दिनांक – 07.03.22

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट ने उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष कस्टोडियन रकबे की सनद् जारी करने बाबत शीर्षक से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए चक 16 जी.जी.आर. प. नं. 179/292 किला नं. 5 की 0.253 है0 भूमि को आवंटी हरनमासिह से जरिये ईकरारनामा क्रय करना दर्शित करते हुए उक्त भूमि की सनद जारी किये जाने हेतु आवेदन किया।

2. पत्रावली में यह भी [illegible] जाने वाले रकबे पर कोई राशि बकाया होनी [illegible] पटवारी की रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा पेश शपथ–प[illegible] के आधार [illegible]गण का कब्जा साबित है। सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी करने पर किसी प्रकार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:02:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आपत्ति प्राप्त नहीं हुई न ही अलॉटी को जरिये नोटिस तलब करने पर न्यायालय में उपस्थित आया। प्रकरण नियमन योग्य होने से समिति के समक्ष रखा गया। उक्त बेचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन में नहीं आता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ''नियमन सिफारिश की जाती है'' अंकित है, जिसके नीची तहसीलदार, प्रधान, विकास अधिकारी एवं सरपंच के हस्ताक्षर हैं। उपखण्ड अधिकारी ने राजस्व रिकार्ड में क्रेता के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये है। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

3. अपीलाण्ट रेस्पोडेण्ट सं0 1 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमो एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम के बिन्दुओं के दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेण्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत भूमि को नियमन करवाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर भूमि को मूल आवंटी से खरीद करना बताया है परन्तु भूमि से सम्बन्धित आवंटन आदेश ही अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे मूल आवंटी द्वारा भूमि का बेचान किया जाना सिद्ध नहीं था इसलिए प्रश्नगत भूमि का किसी सूरत में नियमन नहीं किया जा सकता था आदेश इसी आधार पर काबिल निरस्ती है। मूल आवंटी द्वारा आवंटन की यदि कोई राशि बकाया थी तो वह खजाना राज जमा करवाई गई या नहीं इस तथ्य की कोई रिपोर्ट पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुई ना ही मूल आवंटन पत्रावली ही तलब की गई है। प्रश्नगत भूमि पर कब्जा कास्त बाबत स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुऐ थे एवं विक्रय विलेख भी सिद्ध नहीं था जिससे भूमि का कब्जा/कास्त सिद्ध नहीं था इन तथ्यों पर किसी प्रकार का कोई विचार ना कर [illegible] अधीनस्थ निर्णय रेस्पोडन्ट के हक में गलत रूप से नियमन किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने मियाद बिन्दु पर कथन किया कि माननीय जिला कलक्टर कार्यालय से विधि परीक्षण के बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:02:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पत्र प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर राजकीय अधिवक्ता से राय कर अपील प्रस्तुत की गई है। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। डिले कन्डोन की जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. रेस्पोडेण्ट सं0 1 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया जितनी राशि बनती थी, उसका चालान जमा करवा दिया है। मार्केट रेट की 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना क्रमांक एफ9 (79)रेव–6/2011/32/जी.एस.आर.सो. दिसम्बर 01, 2011 द्वारा समाप्त कर दी गई है। कोई बकाया नहीं है। तर्क दिया कि विज्ञप्ति आपत्ति हेतु प्रकाशित है किन्तु निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। स्वत्व एवं कब्जे के बारे में अर्थात हक एवं कब्जा काश्त के बारे में कोई विवाद नहीं है। किसी ने आपत्ति इसी कारण प्रस्तुत नहीं की। आवंटी एवं उसकी वारिसान से प्रश्नगत रकबा खरीद किया गया है। आवंटन आदेश प्रश्नगत नहीं था अपितु आवंटन से जमाबन्दी में दर्ज भूमि नियम 5 (क) के अनुसार शास्ति जमा होने पर नियमन की जानी थी।

6. अपील देरी से प्रस्तुत करने का कोई समुचित पर्याप्त विश्वसनीय कारण स्पष्ट अंकित नहीं किया है। नियमन कमेटी में रखकर कमेटी की राय से हुआ है। कमेटी का तहसीलदार सदस्य है। जिनके हस्ताक्षर कमेटी की बैठक में नियमन सिफारिश के साथ अंकित है। कमेटी में सरपंच सदस्य है जो कि कब्जे की एवं काश्त की तथा विक्रय होने की स्थानीय जानकारी रखते है। सरपंच जनप्रतिनिधि होते है। इस कारण उनकी उपस्थिति में हुआ निर्णय केवल अ[illegible] आधार पर हुआ निर्णय नहीं कहा जा सकता है। [illegible] राय रखने और निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रहते है। [illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:02:23 IST
Reason: SelfAttested

7. पत्रावली का अवलोकन किया एवम् उभयपक्ष की बहस पर मनन किया ।

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

8. अपीलाण्ट अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं उसका सशपथ खंडन प्रस्तु नही होने एवं प्रकरण का निस्तारण गुणागवुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

9. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है मुताबिक जमाबन्दी संवत 2061 से 64 चक 16 जीजीआर कीप. नं. 179/292 किला नं. 5 की 0.253 है0 भूमि आवंटी हरनाम सिंह वल्द सरदार सिंह अलॉटी के नाम दर्ज रिकार्ड है। रेस्पोडेण्ट के पक्ष में प्रश्नगत आराजी का इकरारनामा मूल आवंटी हरनाम सिंह के वारिस तीर्थसिंह द्वारा किया गया है। मूल आवंटी अथवा उसके वारिसान को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सुना नहीं गया है। मूल आवंटी द्वारा आवंटन की अगर कोई राशि बकाया थी तो वह खजानाराज में जमा करवाई गई या नहीं इस तथ्य की रिपोर्ट ली जानी अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य हे।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.03.2011 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

11. निर्णय आज दिनांक 07.02.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:02:23 IST
Reason: SelfAttested

7/3/22

(करतार सिंह पूनिया)
आर.ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ